



भा.व.अ.शि.प.-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्था

पि. ओ. कृषि मण्डी, नई पाली रोड, जोधपुर- 342 005

ICFRE-ARID FOREST RESEARCH INSTITUTE

Indian Council of Forestry Research & Education,

An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Govt. of India

P.O. Krishi Mandi, New Pali Road, Jodhpur- 342 005



क्रमांक 773/शुवअसं/स्था/6(65)/IV/2026

दिनांक: 06 अक्टूबर, 2026

आदेश/Order

श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य तकनीकी अधिकारी, भा.वा.अ.शि.प.-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के दिनांक 31.08.2026 को अधिवर्षिता आयु प्राप्त होने पर उनके अवकाश लेखा में 305 दिन का अर्जित अवकाश एवं 311 दिन का अर्ध वेतन अवकाश जमा है। निदेशक, भा.वा.अ.शि.प.-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, सी.सी.एस (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 39 के तहत श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य तकनीकी अधिकारी को जमा कुल 300 दिनों के अर्जित अवकाश के लिए स्वीकार्य अवकाश वेतन के समतुल्य एक-मुश्त नकद स्वीकृत करते हैं।

Shri Rajesh Kumar Gupta, Chief Technical Officer, ICFRE-AFRI has 305 days Earned Leave and 311 days Half Pay Leave to his credit on attaining the age of superannuation on 31-08-2026. Director, ICFRE-AFRI, Jodhpur is pleased to grant lump sum cash equivalent of leave salary admissible for 300 days Earned Leave at credit under rule 39 of CCS (Leave) Rules, 1972 to Shri Rajesh Kumar Gupta, Chief Technical Officer.

(डॉ. ए.के. त्रिपाठी/Dr. A.K. Tripathi)

निदेशक /Director

वितरण :

1. सचिव, भा.वा.अ.शि.प. न्यू फारेस्ट, देहरादून 248006
2. अवर सचिव (पेंशन सेल), भा.वा.अ.शि.प., न्यू फारेस्ट, देहरादून 248006
3. श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य तकनीकी अधिकारी, द्वारा प्रभागाध्यक्ष, सुविधा एवं सेवा प्रभाग, भा.वा.अ.शि.प.-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर।
4. समूह सम. शो.(GCR), भा.वा.अ.शि.प.-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर।
5. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, भा.वा.अ.शि.प.-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर।
6. प्रभारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, भा.वा.अ.शि.प.-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर।
7. गार्ड फंजिका व कार्यालय आदेश फंजिका 3(5)।